म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26—अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

क्रमांक / मंडी / योजना / 35/126 भोपाल,दिनांक : 30/03/2019

प्रति,

भारसाधक अधिकारी / सचिव,
कृषि उपज मंडी समिति,
.... जिला .... (समस्त)

विषयः—मंडियों में कृषकों एवं हम्माल / तुलावटियों के लिए लागू 5 / — थाली भोजन योजना के संबंध में मंडियों द्वारा अपनाई जा रही प्रकिया के संबंध में।

मंडियों में कृषकों एवं हम्माल / तुलावटियों के लिए लागू 5 / — थाली भोजन योजना में सामान्यतः किसानों के भोजन के कूपन प्रवेश पर्ची / अनुबंध पत्रक के आधार पर मंडी कार्यालय से जारी किये जाते हैं, जिसके लिए मंडियों द्वारा विशिष्ट कर्मचारी की ड्यूटी लगाई जाती है।

संभागीय कार्यालयों के भ्रमण के समय यह देखा गया है कि अधिकांश किसानों को इसकी जानकारी नहीं होती है और अनुबंध उपरान्त तौल इत्यादि में व्यस्त होने के कारण वह उक्त कूपन का उपयोग नहीं कर पाते हैं। इस कारण से अधिकांश मंडियों में 5 / — थाली भोजन योजना का लाभ, काटे गये अनुबंध के अनुपात में काफी कम है और इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ किसान तक नहीं पहुँच पा रहा है।

इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में 5 / — थाली भोजन योजना का कूपन अनुबंध उपरान्त ही सीधे संबंधित कृषक को जारी कर दिया जाये। वर्तमान में नीलामी के बाद जो कर्मचारी अनुबंध काटता है उसी को कूपन की किताब जारी कर उसके द्वारा कूपन बटवाने की कार्यवाही करें। इससे किसानों को योजना की जानकारी प्राप्त होगी और अधिक से अधिक किसान इसका लाभ उठा सकेंगे।

कृपया उपरोक्तानुसार कृषकों को भोजन कूपन वितरण की कार्यवाही शीघ्र लागू की जावे।

(फैज अहमद किदवई)
प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल.

क्रमांक / मंडी / योजना / 35/127 भोपाल,दिनांक : 30/03/2019

प्रतिलिपिः— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— उप / संयुक्त संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय .... (समस्त)।

प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल.